भारत सरकार
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 982
उत्तर देने की तारीख 27.06.2019

केवीआईसी द्वारा सृजित नौकरियां

982. श्री सुनील दत्तात्रेय तटकरेः
डॉ॰ हिना विजयकुमार गावीतः
श्रीमती सुप्रिया सदानंद सुलेः
डॉ. सुभाष रामराव भामरेः
डॉ. अमोल रामसिंह कोल्हेः

क्या सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) गत तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान महत्वाकांक्षी प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) के तहत खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) द्वारा सृजित नई नौकरियों की वर्ष-वार संख्या कितनी है;
(ख) क्या केवीआईसी को नई पीएमईजीपी परियोजनाएं स्थापित करने और 2018-2019 के दौरान अधिक रोजगार सृजित करने के लिए लक्ष्य दिया गया है और यदि हां, तो आवंटित धनराशि और उसके लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए केवीआईसी द्वारा उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या मार्जिन मनी राजसहायता प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से सीधे लाभार्थी के खाते में भुगतान की जा रही है;
(घ) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान लाभान्वित लाभार्थियों की संख्या कितनी है; और
(ङ) केवीआईसी द्वारा पीएमईजीपी के डिजिटलाइजेशन ने बिचैलियों पर अंकुश लगाने और पारदर्शी प्रणाली शुरू करने में मदद की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा देश और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर खादी उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ताकि और नए रोजगार पैदा किए जा सकें?

उत्तर
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री
(श्री नितिन कडकरी)

(क) विगत तीन वर्षों तथा वर्तमान वर्ष के दौरान महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) के अंतर्गत खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) द्वारा सृजित नए रोजगार के अवसरों की वर्षवार संख्या का ब्यौरा निम्नानुसार हैः

वर्ष	सृजित रोजगार
2016-17	407840
2017-18	387184
2018-19	587416
(19.06.2019 की स्थिति के अनुसार) 2019-20	29048

(ख) वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान नई पीएमईजीपी परियोजनाओं के लक्ष्य और उपलब्धि **अनुबंध-I** में दी गई है।

देशभर में सूक्ष्म उद्यमों के संवर्धन के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम निम्नानुसार हैं:

i) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय ने पीएमईजीपी स्कीम के अंतर्गत पारदर्शिता लाने और तत्काल मार्जिन मनी सब्सिडी के संवितरण के लिए वित्तपोषित बैंक शाखाओं को सीधे ऑनलाइन मार्जिन मनी संवितरण आरंभ किया है।

ii) आवश्यक पथ प्रदर्शन और मॉनीटरिंग सहायता के लिए एनएसआईसी, एमएसएमई-डीआई और टूल रूमों का संगठन।

iii) केवीआई उत्पादों का विपणन बढ़ाने के लिए व्यवसाय कार्यकलापों अर्थात् पूर्वोत्तर (एलडब्ल्यूई प्रभावित जिलों और अंडमान और निकोबार द्वीप समूहों में बिक्री आउटलेटों के रूम में व्यापार/व्यवसाय कार्यकलापों के लिए 10 प्रतिशत के वित्तीय आबंटन की अनुमति प्रदान की जायेगी।

iv) सूक्ष्म उद्यमों के विकास के लिए पीएमईजीपी स्कीम के प्रचार के उद्देश्य से सभी स्तरों पर जागरूकता अभियान, कार्यशालाएं, बैंकर बैठकें और प्रदर्शनियाँ आयोजित की जा रही हैं।

v) कयर कार्यकलापों को स्कीम के अंतर्गत शामिल किया जाता है और कयर बोर्ड को कार्यान्वयन एजेंसी बनाया गया है।

vi) सभी ईकाइयों की जियो-टैगिंग की जा रही है।

vii) मंत्रालय ने लक्ष्य प्राप्त करने के लिए दिनांक 17.01.2019 से 31.03.2019 तक पीएमईजीपी के अंतर्गत उद्यमिता विकास कार्यक्रम (ईडीपी) प्रशिक्षण को छूट दी है।

viii) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय ने वर्ष 2018-19 से विद्यमान पीएमईजीपी/मुद्रा इकाइयों के विस्तार/उन्नयन के लिए वित्तीय सहायता स्कीम भी शुरू की है। (विनिर्माण इकाइयों के लिए 1.00 करोड़ तक और गैर-पूर्वोत्तर के लिए 15 प्रतिशत की सब्सिडी सहित 25.00 लाख रू. तक सेवा/व्यापार के लिए तथा पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्य के लिए 20 प्रतिशत)

(ग) जी, हाँ।

(घ) पीएमईजीपी के अंतर्गत प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के माध्यम से लाभार्थी के खाते में मार्जिन मनी सब्सिडी का सीधे भुगतान किया जा रहा है। विगत तीन वर्षों के दौरान लाभ प्राप्त लाभार्थियों की संख्या निम्नानुसार हैः

वर्ष	परियोजनाओं की संख्या
2016-17	52912
2017-18	48398
2018-19	73427

(ङ) जी, हाँ। केवीआईसी द्वारा पीएमईजीपी के डिजिटलीकरण से बिचौलियों का हस्तक्षेप कम करने और प्रणाली में पारदर्शिता आरंभ करने में सहायता हुई है। आवेदन प्रवाह और निधि प्रवाह की सम्पूर्ण प्रक्रिया ठीक आवेदन की प्राप्ति, प्रक्रिया, बैंकों द्वारा स्वीकृति, मार्जिन मनी सब्सिडी का अंतरण आवेदक के नाम से आवधि जमा प्राप्ति (टीडीआर) के सृजन तक दिनांक 1 जुलाई 2016 से ऑनलाइन किया गया। पोर्टल https://www.kviconline.gov.in/pmegpeportal/pmegphome/index.jsp पर देखा जा सकता है।

नए रोजगारों के सृजन के लिए देश और विदेश में खादी उत्पादों के संवर्धन के लिए सरकार द्वारा उठाए गए अन्य कदम अनुबंध-II में देखें जा सकते हैं।

*****

अनुबंध-I

दिनांक 27.06.2019 के उत्तर के लिए लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 982 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध-I

वर्ष 2018-19 के दौरान पीएमईजीपी की राज्यवार स्थिति

क्रम	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	आबंटित मार्जिन मनी सब्सिडी (लाख रू. में)	प्रयुक्त की गई मार्जिन मनी (लाख रू. में)	स्थापित इकाइयों की संख्या	सृजित अनुमानित रोजगार
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	338.64	318.52	229	1832
2	आंध्र प्रदेश	6242.74	9046.31	2220	17760
3	अरूणाचल प्रदेश	871.6	419.88	280	2240
4	असम	12657.7	4167.41	3737	29896
5	बिहार	10869.49	9842	3303	26424
6	छत्तीसगढ़	6339.11	6784.52	3094	24752
7	दिल्ली	282.96	157.13	132	1056
8	गोवा	605.15	237.23	78	624
9	गुजरात*	14417.95	25443.87	3500	28000
10	हरियाणा	4664.1	5178.43	2165	17320
11	हिमाचल प्रदेश	3211.4	4135.61	1399	11192
12	जम्मू और कश्मीर	7745.12	15222	7529	60232
13	झारखंड	6193.49	4535.69	1797	14376
14	कर्नाटक	8439.66	10725.32	3657	29256
15	केरल	4167.38	5383.93	2486	19888
16	लक्ष्यद्वीप	47.16	0	0	0
17	मध्य प्रदेश	11952.9	10002.28	2526	20208
18	महाराष्ट्र**	10833.6	15272.02	5642	45136
19	मणिपुर	3144.19	2041.06	1291	10328
20	मेघालय	3253.7	587.14	390	3120
21	मिजोरम	2645.45	1514.9	1123	8984
22	नागालैंड	3425.5	2349.67	1208	9664
23	ओडिशा	7719.19	7856.18	3070	24560
24	पुडुचेरी	191.48	150.7	76	608
25	पंजाब	4617.17	4766.68	1801	14408
26	राजस्थान	7743.65	7199.28	2359	18872
27	सिक्किम	238.64	112.35	55	440
28	तमिलनाडु	10438.88	13290.95	5185	41480
29	तेलंगाना	7250.96	7180.89	2051	16408
30	त्रिपुरा	3165.99	2314.24	1179	9432
31	संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़	94.32	63.91	28	224
32	उत्तर प्रदेश	22171.59	19033.28	5243	41944
33	उत्तराखंड	3475.4	4098.38	2181	17448
34	पश्चिम बंगाल	7423.74	7568.78	2413	19304
	कुल	**196880**	**207000.54**	**73427**	**587416**

अनुबंध-II

दिनांक 27.06.2019 के उत्तर के लिए लोकसभा अतारांकित प्रश्न सं. 982 के भाग (ङ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध-II

देश और विदेश में खादी उत्पादों के संवर्धन के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं ताकि अधिक नए रोजगार सृजित किए जा सकें:

1) केवीआसी राज्य स्तर, जिला स्तर और राष्ट्रीय स्तर पर खादी और ग्रामोद्योग इकाइयों के उत्पादों के विपणन में सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से प्रदर्शनियां आयोजित करता है।
2) केवीआईसी ने रेमण्ड, अरविन्द मिल्स, आदित्य बिड़ला फैंशन और रिटेल लि. (एबीएफआरएल) जैसे कारपोरेट के साथ उनके आउटलेटों के माध्यम से खादी के विकास और विक्रय संवर्धन के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए और विपणन अभिसरण के लिए टेक्सटाइल दिग्गजों को आमंत्रित किया।
3) भारत के फैंशन फैब्रिक के रूप में खादी को बढ़ावा देने और खादी फैशन वस्त्रों को विकसित करने तथा डिजाईन विकास के लिए एनआईएफटी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।
4) केवीआईसी ने प्रीमियम खादी और ग्रामोद्योग उत्पादों की बिक्री के लिए खादी लाउन्ज की श्रृंखला आरंभ की है। खादी लाउन्ज उच्च स्तर तथा प्रीमियर डिजाईन उत्पाद प्रदान करने के लिए आउटलेट डिजाईन किए गए हैं। ऐसे खादी लाउन्ज नई दिल्ली, मुम्बई, जयपुर और भोपाल में स्थापित किए गए हैं।
5) खादी फैब्रिक और अन्य उत्पादों की प्रधानमंत्री कार्यालय, एयर इंडिया, रक्षा मंत्रालय, स्वास्थ, रेलवे, डाक विभाग, भारतीय तेल निगम, तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड, ग्रामीण विद्युतीकरण निगम, बैंकों, जेके सीमेंट लिमिटेड, जीएमआर और अन्य सरकारी विभागों एवं सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में आपूर्ति की गई।
6) खादी की प्रामाणिकता सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार द्वारा ''खादी मार्क'' आधिसूचित किया गया है।
7) वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने अंतर्राष्ट्रीय बाजार में खादी और ग्रामोद्योग उत्पादों के संवर्धन की सहायता के लिए केवीआईसी को ''डीम्ड ईपीसी का दर्जा'' प्रदान किया है। निर्यात क्षेत्र में प्रवेश के लिए 1088 खादी एवं ग्रामोद्योग संस्थाओं और आरईजीपी/पीएमईजीपी इकाइयों ने अपनी सदस्या ली है।
8) खादी संस्थाओं के लिए प्रदर्शनियों और कार्यशालाओं का संचालन करके विदेशी बाजारों में व्यवस्था के अवसर मजबूत करने हेतु भारतीय निर्यात संगठन परिसंघ (एफआईईओ), विश्व व्यापार केन्द्र (डब्ल्यूटीसी), भारतीय व्यापार संवर्धन संगठन (आईटीपीओ), भारतीय व्यापार संवर्धन परिषद इत्यादि जैसी प्रमुख संस्थाओं के साथ टाईअप करना।
9) केवीआईसी ने विदेश में 10 भारतीय वाणिजिय दूतावास में 15 अगस्त 2018 को 72वें स्वतंत्रता दिवस के आयोजन के अवसर पर समारोह में भाग लिया/खादी उत्पादों का प्रदर्शन/संवर्धन किया।
10) विदेश में 57 भारतीय दूतावास/मिशनों में महात्मा गांधी की 150वीं जयंती समारोह पर ''वैश्विक खादी'' के कार्यकलाप के अंतर्गत खादी उत्पादों को प्रदर्शित/संवर्धित किया।
11) ''खादी'' की विशिष्ट पहचान के लिए केवाआई उत्पादों की निर्यात संभावना को पहचानते हुए वाणिज्य मंत्रालय से खादी उत्पादों की 22 मदों के लिए एक पृथक एचएस कोड हेतु अनुरोध किया गया है।
12) राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, गुजरात और केरल से 10 केवीआई संस्थाओं/इकाइयों सहित दिनांक 12-14 मार्च 2019 की आईटीपीओ द्वारा आयोजित सेंट पीटर्सबर्ग (रूस) में अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी में भाग लिया।